SIV No.04 /2020

उत्तर मध्य रेलवे

कार्यालय
महाप्रबंधक / सतर्कता
सूबेदारगंज, प्रयागराज

पत्र सं.–20170700621/PC/V4/N/ALD

दिनांक– 22.06.2020

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक,
उत्तर मध्य रेलवे,
प्रयागराज।

विषय:– Non Railway Patients का रेलवे अस्पताल में इलाज के बाद बिल के बनाने एवं जमा करने की ''प्रणाली सुधार'' के संबंध में सुझाव।

उपरोक्त विषय में सतर्कता टीम द्वारा केन्द्रीय रेलवे चिकित्सालय प्रयागराज में Non Railway Patients के इलाज में खर्च के बिलों को बनाने एवं उसको जमा करने की कार्यप्रणाली की जॉच की गयी थी। जॉच में पाया गया कि कुछ Non Railway Patients के इलाज में खर्च धनराशि के बिलों को बनाने में विलम्ब हुआ एवं कुछ बिलों को जमा करने में देरी हुई।

अत: Non Railway Patients का रेलवे अस्पताल में इलाज के बिल के बनाने एवं जमा करने के संबंध में निम्नलिखित प्रणाली सुधार प्रस्तावित है।

1. जो भी Non Railway मरीज OPD/Emergeny में दिखाता है, उसके रेलवे अस्पताल में भर्ती होने के समय Non Railway Patients के नाम से रजिस्टर बनाकर एक युनिक रजिस्ट्रेशन नम्बर प्रदान किया जा सकता है। इस रजिस्ट्रेशन नम्बर के बिना मरीज को वार्ड में भर्ती करने की अनुमति न हो, तथा इस नम्बर को मरीज की Brief History of Treatment(BHT) पर भी अंकित किया जाय, जिससे ऐसे मरीजो की पहचान सुनिश्चित हो पाये।

2. मैट्रन के पास Non Railway मरीजों के भर्ती संबंधी कोई रिकार्ड न होने के कारण मैट्रन को यह पता नहीं होता है कि मरीज कब भर्ती हुआ एवं कब डिस्चार्ज हुआ और कब इलाज का पैसा जमा किया गया। जब मरीज या उसके परिचितों के द्वारा इलाज का भुगतान किया जाता है तथा उस भुगतान को मैट्रन आफिस में जमा किया जाता है, तभी मैट्रन को अमुक मरीज के विवरण का पता चलता है। अत: पारदर्शिता एवं उचित Monitoring हेतु एक प्रोफार्मा इस SIV के साथ संलग्न किया जा रहा है, जो संबंधित कर्मचारी / मैट्रन द्वारा भरा जा सकता है।

54

3. Non Railway मरीज को OPD/Emergeny में दिखाने के बाद भर्ती होने की दशा में एक निश्चित धनराशि को 'Security' के रुप में जमा करा सकते है, जिसका निर्धारण मरीज को OPD/Emergeny में देखने वाले चिकित्सक के द्वारा किया जा सकता है। इस सुधार के कारण Bills के Payment/Recovery में अनिश्चित विलम्ब को कम किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि इस प्रणाली सुधार(SIV) को उत्तर मध्य रेलवे के चिकित्सालयों में लागू कराने हेतु निर्देशित करें एवं SIV के लागू होने पर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

इसे वरि. उपमहाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है

संलंग्नक–प्रोफार्मा–01

22/6/2020

(अंकुर चन्द्रा)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/ भं.
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता